इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019—कार्तिक 23, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 7-ठेका-2019-20-1491.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125, भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2019 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक सात-ठेका-2019-20-147, दिनांक 16 मार्च 2019 में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20 की कण्डिका-25 की उपकण्डिका-25.2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

"वर्ष 2019-20 के लिए देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) में 20 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) परिगणित किया जायेगा.

वर्ष 2019-20 के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) में 15 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) परिगणित किया जायेगा."

वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत आबकारी व्यवस्था वर्ष 2019-20 अवधि के लिए उपरोक्तानुसार संशोधन दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से प्रवृत्त हुआ माना जावेगा.

राजेश बहुगुणा, आयुक्त, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.